महत्वपूर्ण

संख्या-24/2018/1120/60-3-2018-1(8)/12

प्रेषक,

राम केवल,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उ0प्र0 महिला कल्याण निगम,
लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-3 दिनांक : लखनऊ : 30 जुलाई, 2018

विषय-वृद्ध महिला आश्रय सदनों के संचालन हेतु सलाहकार समिति का गठन किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-190/म0क0नि0, दिनांक 22.06.2018 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा निराश्रित वृद्ध एवं विधवा महिला आश्रय सदनों के संचालन हेतु सलाहकार समिति को गठित किये जाने का अनुरोध किया गया है। उ0प्र0 महिला कल्याण निगम द्वारा 17 जनपदों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से वृद्ध महिला आश्रम संचालित हैं तथा वृन्दावन, मथुरा में भारत सरकार की स्वाधार योजनान्तर्गत 03 आश्रय सदनों एवं राज्य सरकार की मीरा सहभागिनी योजनान्तर्गत 02 आश्रय सदनों (लीलाकुंज एवं रास बिहारी) का संचालन निगम द्वारा किया जा रहा है। इन सदनों में वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं को आवासीय एवं अन्य सुविधायें उपलब्ध करायी जा रही हैं।

2. इन सदनों के सुचारू रूप से संचालन एवं निरन्तर सुधार हेतु सुझावों की आवश्यता प्रतीत होती है, किन्तु निगम/महिला कल्याण विभाग के स्तर पर कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है जो कि निगम या आश्रय सदनों की संचालक संस्थाओं को यह सुझाव दे सकें कि निरन्तर बदलते परिवेश में किन-किन सुविधाओं को बढ़ाया जाय एवं इनमें क्या सुधार किये जाय। साथ ही, वृद्ध महिला आश्रय सदन में निवासरत महिलाओं को प्रदान की जा रही सुविधाओं-भोजन, चिकित्सा सुविधा, पॉकेटमनी आदि की दरों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में निर्धारण की भी संस्तुति कर सकें।

3. उक्त के दृष्टिगत इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आश्रय सदनों के सम्यक संचालन हेतु एतद्द्वारा सलाहकार समिति का गठन निम्नानुसार किया जाता हैः-

- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0 - अध्यक्ष
- महाप्रबन्धक, उ0प्र0 महिला कल्याण निगम लि0 - सदस्य सचिव
- नामित प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, उ0प्र0 शासन - सदस्य
- नामित प्रतिनिधि, वृद्ध महिला आश्रम संचालन करने वाली स्वैच्छिक संस्था (प्रबन्ध निदेशक द्वारा नामित) - सदस्य
- नामित प्रतिनिधि, हेल्पेज इण्डिया - सदस्य
- नामित प्रतिनिधि, उ0प्र0 कौशल विकास मिशन - सदस्य
- नामित प्रतिनिधि, भवन निर्माण के क्षेत्र में अग्रणी संस्था उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0 - सदस्य
- पावर ग्रिड कारपोरेशन, एन0टी0पी0सी0, टाटा मोटर्स, भारत पेट्रोलियम प्रतिष्ठानों के नामिति प्रतिनिधि - सदस्य

उक्त सलाहकार समिति की संस्तुतियों के आधार पर वृद्धजन एवं निराश्रित महिलाओं एवं संचालित आश्रय सदनों में यथोचित सुधार किये जाने के परिप्रेक्ष्य में यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय,

(राम केवल)
विशेष सचिव।

संख्या-1120 (1)/60-3-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग/लोक निर्माण विभाग/ऊर्जा विभाग/व्यावसायिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।

2- समिति के सदस्यगण।

3- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।